सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

संख्या - 257 राँची, शुक्रवार, 1 ज्येष्ठ, 1948 (श०) / 22 मई, 2026 (ई०)

महिला, बाल विकास एवं सामाजिक सुरक्षा विभाग

संकल्प

13 फरवरी, 2023

ज्ञापांक -05/म0स०/रा0यो0 (SBPKSY)-385/2022-344--

विषय:- राज्य योजनान्तर्गत संचालित "सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना'के मार्ग निर्देशिका में आंशिक संशोधन की स्वीकृति।

विभागीय संकल्प सं0-2033, दिनांक- 05.09.2022 द्वारा निम्न उद्देश्यों की प्राप्ति के दृष्टिगत''सावित्रीबाई फुले किशोरी समृद्धि योजना' के क्रियान्वयन की स्वीकृतिप्रदान की गई है:-

(क) महिला सशक्तिकरण ।

(ख) बालिका शिक्षा पर जोर ।

(ग) बाल विवाह प्रथा का अन्त ।

(घ) उच्चतर कक्षाओं की बालिकाओं के शैक्षणिक व्यय में सहयोग कर उनके विद्यालय परित्याग की प्रवृति को कम कराना एवं उन्हें उच्च शिक्षा हेतु प्रोत्साहित करना।

(ङ) किशोरियों के स्वास्थ्य एवं वैयक्तिक स्वच्छता हेतु सहायता ।

(च) किशोरियों की अपने जीवन के संबंध में स्वतंत्र निर्णय लेने हेतु सक्षम बनाना ।

2. योजनान्तर्गत आच्छादान को व्यापक करने तथा वर्त्तमान परिदृश्य में कतिपय प्रमाण पत्रों के व्यवहार्यता/अनुपलब्धता को दृष्टिपथ में रखते हुए सम्यक विचारोपरान्त तथा योजना प्राधिकृत समिति द्वारा प्रदत्त शर्तो के आलोक में संकल्प की कंडिका-2.3 में वर्णित पात्रता के अतिरिक्त बिन्दु 2.3 (i) (c) के रुप में निम्नवत् अन्तःस्थापित किया जाता है-

2.3 (i) (c)"विवाह योग्य निर्धारित न्यूनतम कानूनी आयु के पूर्व लाभुक का विवाह नहीं हुआ हो ।"

3. संकल्प की कंडिका 2.3 (iv) जिसमें पात्रता संबंधी प्रावधान:-''बालिका का जन्म प्रमाण पत्र हो, जिसकी छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य होगा'' को विलोपित किया जाता है ।

4. संकल्प की कंडिका 2.3 (vii) (b) को संशोधित करते हुए निम्नवत् प्रतिस्थापित किया जाता है:-

बालिका के माता पिता की मृत्यु की स्थिति में बालिका के पालक माता-पिता/अभिभावक से संबंधित कागजात मान्य होंगे। इस स्थिति में माता-पिता का मृत्यु प्रमाण-पत्र की छायाप्रति आवेदन के साथ संलग्न करना आवश्यक होगा ।

5. संकल्प सं0-2033, दिनांक- 05.09.2022 को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा। संशोधित मार्ग-निर्देशिका संकल्प निर्गत होने की तिथि से प्रभावी होगा ।

6. इस पर राज्य मंत्रिपरिषद् की दिनांक- 09.02.2023 की बैठक में मद संख्या-20 के रुप में स्वीकृति प्रदान की गई है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

कृपा नन्द झा,
सरकार के सचिव

अधीक्षक, झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 257 - 50